

3/16



कार्यालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, सदर राँची।

प्रेषक,

उप समाहर्ता भूमि सुधार
सदर, राँची।

पत्रांक:- 406/74-8
दिनांक:- 30.01.2024

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
बुढ़मू, राँची।

विषय:-

लगान निर्धारण अभिलेख स्वीकृति पश्चात् मूल रूप में वापस करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-22(ii)A, दिनांक-18.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र से प्राप्त निम्नांकित लगान निर्धारण वाद से संबंधित मूल अभिलेख स्वीकृति पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस किया जा रहा है।

संलग्न:-यथोक्त। मूल में।

विश्वासभाजन

उप समाहर्ता भूमि सुधार,
सदर, राँची

क्रमांक	लगान निर्धारण वाद सं०	आवेदक
1.	04/2023-24 T.R. 74/2023-24	संजीव शर्मा

(मूल रूप में)

कार्यालय अंचल अधिकारी, बुढ़मू (राँची)

आदेश-पत्रक

अनुसूची.....फॉर्म सं०-..... (देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रांकतारीख.....से.....तकजिला राँची

केस का प्रकार:- लगान निर्धारण

वाद संख्या- 04/2023-24

T.R. - 74/2023-24

आदेश और तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कारवाई के बारे टिप्पणी तिथि स
1	2	3

18/01/2024

आवेदक संजीव शर्मा, पिता- स्व० सच्चिदानंद शर्मा, निवासी ग्राम- साड़म, थाना- बुढ़मू, जिला-राँची. वर्तमान पता इन्द्रपुरी रोड न०- 2, रातु रोड, राँची द्वारा निम्नांकित भूमि का लगान निर्धारण करने हेतु वाद सं०- 04/2023-24 के आलोक में आवेदन किया गया है-

क्र० सं०	मौजा	थाना न०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	भूमि किस्म		
1	साड़म	56	1	1023	1.28	टाड़ दो		
				628	0.59	दोन एक		
				269	0.22	टाड़ दो		
				275	0.30	टाड़ दो		
				1021	0.05½	टाड़ दो		
				107	0.02	परती कदीम		
				268	0.04	परती कदीम		
				273	0.01	परती कदीम		
				274	0.02	परती कदीम		
				1028	0.08	परती कदीम		
				108	0.36	दोन तीन		
				110	0.59	दोन तीन		
				634	0.09	दोन तीन		
			1035	1.21	दोन तीन			
			1038	0.24	दोन तीन			
			3			56	0.15	टाड़ दो
						621	0.35	बाग आम
						144	0.23	दोन तीन
						145	0.26	दोन दो
255	0.83	दोन दो						
			1172	1.22	टोड़ दो			

18/01/24

			1173	0.17	दोन एक
			611	0.14	दोन दो
			1056	0.53	टाड़ दो
			1053	0.16	टाड़ दो
			878	0.65	टाड़ दो
			899	0.17	टाड़ एक
			1247	0.18	दोन दो
			1248	0.82½	दोन एक
			1422	0.50	दोन तीन
			1441	0.94	टाड़ दो
			1420	0.77	दोन तीन
			1470	0.34	टाड़ दो
			1506	1.13	दोन एक
			1508	0.12	दोन दो
			1561	0.06	दोन दो
			1512	0.21	दोन एक
			1514	0.18	दोन दो
			1521	0.36	टाड़ दो
		—	कुल रकबा	15.58 एकड़	—

आवेदन को पंजीकृत कर आम नोटिस निर्गत किया गया है।
आवेदित भूमि का लगान-निर्धारण नहीं करने हेतु कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि—

“ आवेदित भूमि बुढमू अंचल अंतर्गत मौजा-साड़म, थाना नं०-56, खाता सं०- 1 आर०एस० खतियान में मझीहस मालिक नाम लगान पानेवाला तोसमन पंडित (खेवट सं०-3) दर्ज है। खाता सं०-3 खतियान में वकाशत मालिक नाम लगान पानेवाला तोसमन पंडित (खेवट सं०-3) दर्ज है।

आवेदित भूमि पर तोसमन पंडित, वल्द- शेशमन पंडित आजीवन दखलकार रहे। उनके मृत्यु के उपरांत उनके एकमात्र पुत्र मुरलीधर शर्मा दखलकार रहे। मुरलीधर शर्मा के दिवंगत होने के उपरांत उनके एकमात्र पुत्र एवं आवेदक के पिता स्व० सच्चिदानंद शर्मा दखलकार रहे। सच्चिदानंद शर्मा के मृत्यु के उपरांत उनके एकमात्र पुत्र स्वयं आवेदक संजीव शर्मा शांतिपूर्ण दखल में हैं।

आवेदित भूमि गैरमजरूआ आम वो खास अथवा सरकारी भूमि, सिलिंग, अधिगृहित भूमि नहीं है। भूमि सी०आई०डी०, सी०वी०आई० अथवा निगरानी जाँच से प्रभावित नहीं है। यह भूमि नदी, नाला, जंगल, झाड़ी, वन, शिक्षा, माइनिंग, कब्रिस्तान, सरना, मसना, अथवा अन्य धार्मिक स्थल की नहीं है। भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। आवेदित भूमि का लगान-निर्धारण पूर्व में नहीं हुआ है एवं लगान निर्धारण योग्य है। अतः आवेदित भूमि का लगान निर्धारण आवेदक के नाम करने की अनुशंसा

GNW.
18/01/24

की जाती है।,

अंचल अमीन द्वारा आवेदित भूमि का सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन एवं ट्रेस नक्शा 3-3 प्रति में प्रस्तुत किया गया है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अंचल अमीन के सीमांकन प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मौजा-साड़म के खाता सं०- 1 एवं 3, प्लॉट सं०- 1023, 628, 269, 275, 1021, 107, 268, 273, 274, 1028, 108, 110, 634, 1035, 1038, 56, 621, 144, 145, 255, 1172, 1173, 611, 1056, 1053, 878, 899, 1247, 1248, 1422, 1441, 1420, 1470, 1506, 1508, 1561, 1512, 1514, 1521 कुल रकबा- 15.58 एकड़ भूमि का लगान निर्धारण आवेदक संजीव शर्मा, पिता- स्व० सच्चिदानंद शर्मा, निवासी ग्राम- साड़म, थाना-बुढ़मू, जिला-राँची के पक्ष में करने की अनुशंसा की जाती है। लगान दर प्रति एकड़ 100 रु० की दर से कुल 1558=00 (एक हजार पाँच सौ अठावन रुपये मात्र) अलावे शेष दर 1955-1956 से देय होगा।

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक का चेक स्लीप 3 प्रति में, लगान निर्धारण प्रपत्र 3 प्रति में, ट्रेस नक्शा 3 प्रति में, आर०एस० खतियान की ऑनलाईन प्रति, अमीन का सीमांकन प्रतिवेदन एवं वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है।

अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उप समाहर्ता भूमि सुधार, सदर, राँची को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

GDW.
18/01/24

अंचल अधिकारी,
बुढ़मू, राँची।

GDW.
18/01/24

अंचल अधिकारी,
बुढ़मू, राँची।

लगान निर्धारण प्रपत्र।

थाना संख्या:- 56

ग्राम:- साङ्गम

जिला-सैयी

क्र.सं.	लगान निर्धारण वाद संख्या	नाम एवं पूरा नाम	ग्राम/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा	जमीन का किसम	लगान दर	निर्धारित लगान	अभियुक्ति
1	04 / 20 23-24	संजीव शर्मा, पिता-स्व0 सचिदरानंद शर्मा निवासी ग्राम- साङ्गम थाना-बुद्धम, जिला- सैयी. वर्तमान पता इन्द्रपुरी रोड न0-2 रातु रोड, सैयी	56	1, 3	1023	1.28	टाड़ दो	100 / -	1558=00 अलावे शेष	
					628	0.59	दोन एक			
					269	0.22	टाड़ दो			
					275	0.30	टाड़ दो			
					1021	0.05 1/2	टाड़ दो			
					107	0.02	परती			
							कदीम			
					268	0.04	परती			
							कदीम			
					273	0.01	परती			
							कदीम			
					274	0.02	परती			
							कदीम			
					1028	0.08	परती			
		कदीम								
		दोन तीन								
		दोन तीन								
		दोन तीन								
		दोन तीन								
		दोन तीन								
		दोन तीन								
		दोन दो								
		बाग आम								
		दोन तीन								
		दोन दो								
		दोन दो								
		दोन दो								

अ.स. वि.स.स.स.

1172	1.22	टाइ दो
1173	0.17	दोन एक
611	0.14	दोन दो
1056	0.53	टाइ दो
1053	0.16	टाइ दो
878	0.65	टाइ दो
899	0.17	टाइ एक
1247	0.18	दोन दो
1248	0.82½	दोन एक
1422	0.50	दोन तीन
1441	0.94	टाइ दो
1420	0.77	दोन तीन
1470	0.34	टाइ दो
1506	1.13	दोन एक
1508	0.12	दोन दो
1561	0.06	दोन दो
1512	0.21	दोन एक
1514	0.18	दोन दो
1521	0.36	टाइ दो
कुल रकबा	15.58	—
	एकड़	



[Signature]
हल्का कर्मचारी
का हस्ताक्षर

[Signature]
अंचल निरीक्षक
का हस्ताक्षर

[Signature]
अंचल अधिकारी
का हस्ताक्षर

[Signature]
उप समाहता भूमि सुधार
सदर, सैयी